केवल शासकीय प्रयोग हेतु

नगर निकाय निर्वाचन

मतगणना अधिकारियों/कर्मचारियों के उपयोग हेतु

निर्देश पुस्तिका–2011

राज्य निर्वाचन आयोग

(पंचायत एवं स्थानीय निकाय),

उत्तर प्रदेश

पी0सी0एफ0भवन, 32–स्टेशन रोड, लखनऊ।

प्रस्तावना

निर्वाचन स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराना राज्य निर्वाचन आयोग का दायित्व है। निर्वाचन संचालन की सम्पूर्ण प्रक्रिया में मतगणना प्रक्रिया का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तर प्रदेश में तीनों श्रेणी के नगर निकाय (नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद तथा नगर निगम) के सामान्य निर्वाचन/उप निर्वाचन यथासमय कराये जाते हैं। इन निर्वाचनों में मतगणना प्रक्रिया से सम्बन्धित कार्मिकों के मार्गदर्शन एवं अनुपालन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी इस निर्देश पुस्तिका में यह प्रयास किया गया है कि मतगणना की कार्यवाही एवं संचालन से सम्बन्धित सभी प्रावधान एवम् इस सम्बन्ध में की जाने वाली व्यवस्थाओं के बारे में स्थिति स्पष्ट हो सके। इस निर्देश पुस्तिका को जारी करते हुए निर्वाचन संचालन में लगे सभी अधिकारियों व कार्मिकों, विशेषकर मतगणना का कार्य देख रहे अधिकारियों/कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे मतगणना के समय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा व्यवस्थित निर्देशों के अतिरिक्त आयोग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों एवम् आदेशों के अनुरूप मतगणना की कार्यवाही इस तरह से सम्पादित करेंगे कि न केवल इससे मतगणना सम्बन्धी कार्यवाही की पारदर्शिता झलके, बल्कि इसकी स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो।

मुझे आशा है कि यह निर्देश पुस्तिका निर्वाचन अधिकारियों, सहायक निर्वाचन अधिकारियों, मतगणना कार्मिकों तथा निर्वाचन एवं मतगणना कार्य में लगे अन्य सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने दायित्वों के पालन में तथा प्रदत्त कार्यों के सम्पादन में उपयोगी सिद्ध होगी।

(राजेन्द्र भौनवाल)
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
(पंचायत एवं स्थानीय निकाय),
उत्तर प्रदेश।

1— मतगणना

''भारत के संविधान'' के अनुच्छेद—243 य क सपठित अनुच्छेद 243 ट के अन्तर्गत पंचायतों एवं नगर निकायों के निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन व नियंत्रण का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश में स्थित सभी नगर निकायों (नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों) के निर्वाचनों के मतगणना की विधिवत् कार्यवाही व उसके समुचित संचालन की जानकारी होना आवश्यक है। मतगणना के कार्य को अत्यन्त व्यवस्थित, शान्तिपूर्ण और सुचारू रूप से सम्पादित कराना रिटर्निंग अधिकारी का कर्त्तव्य एवं दायित्व है। मतगणना प्रबन्ध, मतगणना कार्य का अत्यावश्यक अंग है। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (यथा संशोधित) तथा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवम् उक्त अधिनियमों के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर पालिका (सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरों का निर्वाचन) नियमावली,2010 के अन्तर्गत नगर निकायों के निर्वाचन का कार्य सम्पन्न होता है। नगर निगम में महापौर तथा पार्षदों, नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष तथा सदस्यों और नगर पंचायत में अध्यक्ष तथा सदस्यों के निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण में कराये जाते हैं। जिले में स्थित निकायों में दोनों निर्वाचनों के एक साथ होने से निर्वाचक को एक साथ दो मतपत्र दिये जाते हैं। उसी क्रम में मतगणना भी अध्यक्ष/सदस्य तथा महापौर/पार्षद के पदों के लिए एक साथ होती है।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित दिनांक को रिटर्निंग अधिकारी मतगणना प्रारम्भ करायेंगे। मतगणना रिटर्निंग अधिकारी द्वारा या उसके पर्यवेक्षण और निदेश के अधीन की जायगी और आयोग द्वारा निर्धारित समय पर प्रारम्भ करके यथासम्भव शीघ्र समाप्त की जायगी।

2— मतगणना हेतु समय, स्थान और दिनाँक का नियत किया जाना

(1) रिटर्निंग अधिकारी मतदान समाप्त होने के पश्चात् आयोग द्वारा यथा नियत मतगणना का दिनांक परिनिश्चित करेगा और ऐसा स्थान तथा समय नियत करेगा जिस स्थान तथा समय पर मतगणना की जायगी।

(2) रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को ऐसे दिनांक, समय और स्थान के सम्बन्ध में सूचना देगा तथा कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करायगा।

(3) यदि मतगणना हेतु इस प्रकार नियत किए गए समय पर परिगणित किए जाने वाले मतों से अन्तर्विष्ट मतपेटिकाएं, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राप्त नहीं की जाती हैं या यदि किसी अन्य अपरिहार्य कारण से गणना की कार्यवाही करने में असमर्थ हो तो वह मतगणना को अन्य दिनाँक तक के लिए टाल सकता है और इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से समय और स्थान को नियत कर सकता है और तत्सम्बन्ध में सूचना, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को दे सकता है।

निर्वाचन के पूर्व ही मतगणना केन्द्रों का चिह्नीकरण किया जायगा किन्तु यह ध्यान रखा जाय कि जिला मुख्यालय पर स्थित नगर निकायों की मतगणना जिला मुख्यालय पर तथा तहसील सीमा में आने वाली निकायों की मतगणना तहसील मुख्यालय पर सम्पन्न करायी जाय अथवा जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एतदर्थ निर्धारित स्थान पर की जायगी । यदि जिला मजिस्ट्रेट उचित समझें तो एक से अधिक तहसीलों की मतगणना का कार्य इनमें से किसी एक तहसील मुख्यालय पर करा सकते हैं।

3– मतदान स्थलों से प्राप्त मतपेटिकाओं की जांच

रिटर्निंग अधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वह यथासम्भव शीघ्र ही जांच करा लें कि सभी मतदान स्थलों की मतपेटिकायें ठीक स्थिति में प्राप्त हो गयी हैं ताकि निर्धारित दिनांक व समय पर मतगणना का कार्य प्रारम्भ हो सके।

4– मतगणना कार्मिकों की नियुक्ति, उनका प्रशिक्षण तथा अन्य प्रबन्ध

जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर निकाय) से यह अपेक्षा की जाती है कि वह गणना के लिए प्रत्येक रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा आवश्यक कार्मिकों की संख्या का पहले ही आंकलन करा लें और तदनुसार उनकी व्यवस्था करके यह सुनिश्चित कर लें कि सभी सम्बन्धित कर्मचारीगण तथा अधिकारीगण निर्धारित स्थान पर समय से उपस्थित हों। प्रत्येक गणना की मेज के लिए निम्नलिखित कर्मचारीगण की आवश्यकता होगीः–

(1) गणन पर्यवेक्षक –1

(2) गणन सहायक –3

रिटर्निंग अधिकारी तथा सहायक रिटर्निंग अधिकारी की सहायतार्थ उनके साथ आवश्यकतानुसार दो–तीन लिपिक रहेंगे। मतगणना कार्य से सम्बद्ध अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर निकाय) के द्वारा गणन प्रक्रिया तथा

तद्विषयक व्यवस्था के सम्बन्ध में समुचित प्रशिक्षण दिया जायगा जिसमें गणन कार्मिकों के अतिरिक्त सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, उप जिलाधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहेंगे। प्रशिक्षण के दौरान समस्त सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों को इस पुस्तिका में दिये गये निर्देशों तथा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा दिये गये अन्य सम्बन्धित निर्देशों से समुचित रूप से अवगत कराया जायगा।

5— मतगणना में प्रयुक्त होने वाले सामान

सामान्यतया मतगणना के लिए निम्नलिखित सामान की आवश्यकता होगीः—

(1) मेज पर मतगणना की व्यवस्था हेतु

(i)	पेंसिल	— 2
(ii)	बाल पेन	— 5
(iii)	कागज (फुल स्केप)	— 10 पन्ने
(iv)	गीला स्पंज या छोटे प्याले में पानी	— 4
(v)	सुतली	— 250 ग्राम (लगभग)
(vi)	रबड़ बैंड	—50 ग्रा0 (लगभग)
(vii)	पेपरवेट या पत्थर के छोटे टुकड़े	— 4
(viii)	गणन प्ररूप—प्ररूप—22 (मतपत्र लेखा), परिशिष्ट—(3 व 4)	
(ix)	गणन पर्चियां	— 100

(2) मतपत्रों आदि को गणना के बाद सील करने की व्यवस्था हेतु

(i)	मतपत्रों की पैकेटिंग के लिए बांसी कागज	— आवश्यकतानुसार
(ii)	धागा	— 01 गोला
(iii)	ब्लेड	— एक
(iv)	सूजा	— एक
(v)	सीलिंग मैटेरियल चपड़ा	— 200 ग्राम
(vi)	मोमबत्ती	— 10
(vii)	ट्रे	— एक (यदि उपलब्ध हो)
(viii)	निर्वाचन परिणाम की पंजिका	— एक (प्ररूप—23)
(ix)	रबर स्टैम्प (परिशिष्ट—1 के अनुसार)	— एक
(x)	ब्रास सील	— एक
(xi)	स्टैम्प पैड बड़ा	— एक

(xii) कैलकुलेटर (आर0ओ0 हेतु) –एक

मतगणना के दौरान जो मतपत्र रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अस्वीकृत किये जाने योग्य पाये जाते हैं उन्हें अस्वीकार किये जाने के लिए विभिन्न कारणों को दर्शाने वाली रबर की मुहरों (परिशिष्ट–1 में दिये गये नमूने के अनुसार) की व्यवस्था कर ली जाय। इन रबर की मुहरों को स्थानीय स्तर पर जिले में तैयार कराया जा सकता है।

6– **मतगणना केन्द्र बनाया जाना**

(1) नगर निकायों के निर्वाचन में मतगणना जिला मुख्यालय के पास के निकायों की जिला मुख्यालय पर तथा तहसील सीमा में आने वाली निकायों की गणना तहसील मुख्यालय पर सम्पन्न की जाती है। मतगणना करने के लिए ऐसे हाल का प्रयोग किया जा सकता है जिसमें 60X40 फिट का आच्छादित स्थान उपलब्ध हो। उक्त हाल में 6X5 फुट की 14 गणना मेजें लगायी जायेंगी। 6X5 की मेज न उपलब्ध होने पर 5X3 फुट की दो मेजें मिलाकर एक गणना मेज लगायी जा सकती है और 12X5 फुट की एक मेज रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी तथा उनके सहायक स्टाफ के बैठने के लिए होगी। साथ ही मतगणना मेजों के निकट उम्मीदवारों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के लिए भी स्थान सुरक्षित रखना होगा। मतगणना हाल में अन्दर आने वाला एक ही रास्ता रखा जायगा और उक्त हाल सभी ओर दीवार अथवा कनात से घिरा रहेगा। हाल के अन्दर दोनों तरफ दोहरी बल्ली लगाकर 8'–8' गलियारा रखा जायगा जो गणन अभिकर्ताओं के बैठने के लिए अथवा खड़े होने के लिए निश्चित रहेगा। एक गणना मेज पर 4 कुर्सियां होंगी। एक गणन पर्यवेक्षक के लिए तथा 3 गणन सहायकों के लिए। अन्दर आने वाले रास्तों के विपरीत दिशा में कोने में दरी बिछाकर गणन तथा अपेक्षित पैकेटों को सीलबन्द करने की व्यवस्था होगी। हाल में दोनों तरफ 7–7 गणन मेजें लगायी जायेंगी। बीच में 8 फुट का रास्ता और गणना कार्य में लगे कर्मियों तथा अन्य स्टाफ के चलने–फिरने के लिए छोड़ा जायगा। प्रकाश के लिए प्रति मेज पर एक ट्यूब लाइट और एक बल्ब की व्यवस्था होगी। बिजली न होने की दशा में एक जनरेटर या पर्याप्त मात्रा में पैट्रोमैक्स की वैकल्पिक व्यवस्था भी की जायगी तथा उसके लिए अपेक्षित मात्रा में डीज़ल की व्यवस्था सुनिश्चित की जायगी। यह व्यवस्था मतगणना अवधि में लगातार जारी रहेगी। बीच के रास्ते में 3 बल्ब की व्यवस्था होगी। रिटर्निंग अधिकारी की मेज पर भी एक ट्यूब लाइट तथा दो बल्बों की व्यवस्था होगी। मेजों के पैकेटों को सील करने के स्थान पर भी एक

बल्ब की व्यवस्था होगी। मतगणना हाल के अन्दर आने–जाने के रास्ते पर दो फोकस लाइट व अन्य 3 कोनों पर 3 फोकस लाइट को मिलाकर कुल 5 फोकस लाइटों की व्यवस्था होगी। हाल के अन्दर रिटर्निंग अधिकारी की मेज पर लाउडस्पीकर सेट होगा जिसके दो स्पीकर पंडाल के बाहर स्थापित किये जायेंगे। नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद जहां मतगणना का कार्य दिन के प्रकाश में प्रातः काल 8 या 9 बजे से प्रारम्भ होकर 4–5 घण्टे में ही समाप्त हो सकता है, वहां इस प्रकार के प्रकाश की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर निकाय) अथवा उप जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर निकाय) अपने स्तर से आवश्यकता का आंकलन कर लेंगे। गणन अभिकर्ताओं के लिए निर्धारित स्थान पर आवश्यकतानुसार (10 छोटी कुर्सियाँ प्रति मेज) कुर्सियों की व्यवस्था भी की जा सकती है।

(2) नगर निकायों की मतगणना के लिए 1,50,000 (एक लाख पचास हजार) मतदाताओं की संख्या पर एक मतगणना पंडाल/हाल रखा जायगा। 24 घण्टे के अन्दर मतगणना पूर्ण कराने हेतु यदि आवश्यक हो तो 1,50,000 मतदाताओं के स्थान पर 1,00,000 (एक लाख) मतदाताओं की संख्या पर एक मतगणना केन्द्र बनाया जा सकता है।

(3) मेजों को हाल के प्रवेश द्वार से दूर रखा जाना चाहिए। रिटर्निंग अधिकारी की मेज ऐसे स्थान पर होनी चाहिए ताकि वह पूरी व्यवस्था को भली भांति देख सकें और उसके निकट उम्मीदवारों अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के बैठने के लिए यथासंभव स्थान की व्यवस्था की जा सकती है। मतगणना कक्ष में बैठने की व्यवस्था यथासंभव परिशिष्ट–2 में दर्शाये गये चित्रानुसार की जाय।

(4) रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी गणना शुरू होने से पहले ही हाल का निरीक्षण कर लें जिसके बाद गणना प्रारम्भ की जायगी। यह सुनिश्चित कर लें कि कमरे के भीतर कोई फटे कागज आदि न पड़े हों। रिटर्निंग अधिकारी को यह सलाह दी जाती है कि जब गणना हो रही हो तो गणना करने वाले कोई कर्मचारी रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति के बिना कमरे से बाहर न जायें। निःसंदेह यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि कोई व्यक्ति अपने साथ मतपत्र तो नहीं ले जा रहा है।

(5) गणन अभिकर्ता को रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष निर्धारित प्ररूप–1 में घोषणा पत्र पर अपना हस्ताक्षर करना होता है। रिटर्निंग अधिकारी को यह देखना चाहिए कि नियुक्ति की सहमति के प्रतीक स्वरूप उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा भेजे गये पत्र पर उसके हस्ताक्षर घोषणा पत्र पर किये गये हस्ताक्षर से मेल खाते हैं।

7– मतगणना स्थान पर उपस्थित रहने वाले अधिकृत व्यक्ति

(1) रिटर्निंग अधिकरी ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर, किसी व्यक्ति को मतगणना के समय उपस्थित रहने की अनुज्ञा नहीं देगा, जैसा कि वह मतगणना में उसकी, प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, उसके निर्वाचन अभिकर्ताओं और उसके गणन अभिकर्ताओं की सहायता करने के लिए नियत करे। मतगणना हाल के अन्दर निम्नलिखित व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं :–

i– गणन कार्मिक,

ii– राज्य निर्वाचन आयोग या जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर निकाय) द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति,

iii– निर्वाचन के सम्बन्ध में कर्तव्यारूढ़ लोकसेवक,

iv– उम्मीदवार या उसका निर्वाचन अभिकर्ता या उसके गणन अभिकर्ता में से एक समय में कोई एक व्यक्ति प्रत्येक गणना मेज पर, और

v– मतगणना करने में अपनी सहायता के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नियुक्त व्यक्ति।

यदि मतगणना कक्ष में उपर्युक्त के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति हों तो मतगणना प्रारम्भ करने के पूर्व उन्हें कक्ष से बाहर कर दिया जाय एवं मतगणना केन्द्र पर नियुक्त सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दे दिया जाय कि वह उपर्युक्त व्यक्तियों को छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति को अन्दर न आने दें। कक्ष में उपस्थित व्यक्तियों का भी बार बार अन्दर बाहर आवागमन नियन्त्रित करें।

(2) ऐसे किसी व्यक्ति, जिसे निर्वाचन में या उसके सम्बन्ध में किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया गया हो या वह उस अभ्यर्थी के लिए अन्यथा कार्य कर रहा हो, को मतगणना में रिटर्निंग अधिकारी की सहायता करने के लिए नियुक्त नहीं किया जायगा।

(3) विशिष्ट/अतिविशिष्ट व्यक्ति व उनके साथ वाले सुरक्षाकर्मी मतगणना स्थल/पण्डाल में प्रवेश हेतु अधिकृत नहीं होंगे।

(4) कोई व्यक्ति जो मतों की गणना के दौरान दुराचरण करता है या रिटर्निंग अधिकारी के विधिपूर्ण निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है उसे उस स्थान से जहॉ पर मतों की गणना की जा रही हो, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा या ड्यूटी कर रहे किसी पुलिस अधिकारी के निर्देशित किये जाने पर उसके द्वारा या रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा हटाया जा सकेगा।

(5) मतगणना पण्डाल/हाल में उसी नगर निकाय के चेयरपरसन के उम्मीदवार/गणन अभिकर्ता/निर्वाचन अभिकर्ता और सदस्य/पार्षद पद हेतु उसी वार्ड/वार्डों के उम्मीदवार/गणन अभिकर्ता/निर्वाचन अभिकर्ता रह सकेंगे जिस वार्ड/वार्डों की मतगणना हो रही हो। इसके अतिरिक्त तत्समय किसी अन्य वार्ड/वार्डों के उम्मीदवार/गणन अभिकर्ता/निर्वाचन अभिकर्ता उस हाल/पण्डाल में नहीं रहेगा। शेष वार्डों के उम्मीदवारों/गणन अभिकर्ताओं/निर्वाचन अभिकर्ताओं के लिए अलग से एक हाल/पण्डाल की व्यवस्था की जायगी जहां वह अपने वार्डों के मतों की गणना प्रारम्भ होने की प्रतीक्षा कर सकेंगे।

(6) गणन अभिकर्ताओं को गणना कक्ष में प्रविष्ट कराने के पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के द्वारा हस्ताक्षरित प्ररूप पर नियुक्ति पत्र की दूसरी प्रतियों को इकट्ठा कर लेना चाहिए।

(7) रिटर्निंग अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रपत्र देने वाले व्यक्ति वही हैं जिनकी गणन अभिकर्ता के रूप में नियुक्ति की गयी है। यह नियुक्ति के मूल पत्र के उन ब्यौरों की जांच से सम्भव है जिन्हें उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा दिया गया है।

(8) रिटर्निंग अधिकारी को वह स्थान व समय नियत करना चाहिए जहां इस प्रयोजन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियत किये गये स्थान व समय पर मतों की गणना की जानी है तथा जिसके सम्बन्ध में पूर्व में ही सूचना प्रकाशित की जा चुकी है। स्थान नियत करते समय यह ध्यान रखना होगा कि वहां पर मतगणना के लिए पर्याप्त स्थान हो तथा सुरक्षा की दृष्टि से स्थान उपयुक्त हो।

8— गणन अभिकर्ता

(1) निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतगणना के समय अपने गणन अभिकर्ता के रूप में उपस्थित रहने के लिए किसी एक व्यक्ति को परिनिश्चित कर सकता है। ऐसी प्रत्येक नियुक्ति मतगणना प्रारम्भ होने से पूर्व प्ररूप–1 पर उम्मीदवार द्वारा स्वयम् अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता के द्वारा लिखित रूप से की जा सकती है परन्तु इस बात का ध्यान रखा जायगा कि मतगणना मेज पर उम्मीदवार अथवा निर्वाचन अभिकर्ता अथवा उसके गणन अभिकर्ता में से एक ही उपस्थित रह सकता है। उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ताके अतिरिक्त किसी अन्य को गणन अभिकर्ता का प्रतिस्थानी नहीं माना जायगा। साथ ही यह भी ध्यान में रखा जायगा कि रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी की मेज के पास उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता में से एक ही व्यक्ति रह सकता है। किन्हीं गणन अभिकर्ताओं को गणना हेतु नियत स्थान पर तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक उसकी नियुक्ति का पत्र रिटर्निंग अधिकारी को न दे दिया गया हो।

(2) मतगणना समाप्त होने के पूर्व गणन अभिकर्ता की आकस्मिक मृत्यु हो जाने अथवा अन्य किसी स्थिति में उसकी नियुक्ति को उम्मीदवार अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता के द्वारा रिपोर्ट देकर रद्द कराया जा सकता है तथा दूसरे गणन अभिकर्ता की नियुक्ति की जा सकती है । यह कार्य मतगणना के दौरान भी किया जा सकता है।

(3) गणन अभिकर्ता का नियुक्ति पत्र निर्धारित प्ररूप–1 पर दो प्रतियों में तैयार किया जायगा जिसको हस्ताक्षरित करने के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी एक प्रति अपने पास रख लेगा तथा दूसरी प्रति पर हस्ताक्षर करने और मुहर लगाने के पश्चात् उसे उम्मीदवार अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता को वापस कर देगा। गणन अभिकर्ता इस नियुक्ति पत्र को गणना की समाप्ति तक अपने पास अनिवार्य रूप से रखेगा।

9— <u>मतगणना का कार्यक्रम तथा उसको स्थगित किया जाना</u>

(1) प्रत्येक नगर निकाय की मतगणना यथासंभव एक दिन के अन्दर ही पूरी हो जानी चाहिए।

(2) मतों की गणना लगातार होगी। ऐसी स्थिति में जब मतगणना रोकनी पड़े तो रिटर्निंग अधिकारी को इन निर्देशों अथवा आयोग से प्राप्त अन्य निर्देशों के अन्तर्गत कार्यवाही करनी चाहिए।

10— गणना की प्रक्रिया

(1) रिटर्निंग अधिकारी मतों की गणना के लिए नियत दिनांक, समय और स्थान पर निम्नलिखित कार्यवाही करेगाः—

(i) रिटर्निंग अधिकारी स्वयं का समाधान करेगा कि मतदान के समय प्रयुक्त और उस स्थान पर परिगणित की जाने वाली समस्त मतपेटिकाएं या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें प्राप्त कर ली गयी हैं और उनका विवरण दिया जा चुका है।

(ii) रिटर्निंग अधिकारी मतगणना के समय उपस्थित अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं तथा गणन अभिकर्ताओं को यथास्थिति मतपेटिकाओं या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और मुहरों का परीक्षण कर समाधान करने का अवसर देगा कि वे उचित क्रम में हैं।

(iii) रिटर्निंग अधिकारी इस बात का भी स्वयं समाधान करेगा कि किसी भी मतपेटिका या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। यदि उसके द्वारा यथास्थिति, किसी मतपेटिका या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ छेड़छाड़ किया गया या उसे नष्ट किया गया या खोया हुआ पाया जाता है तो रिटर्निंग अधिकारी मतगणना को रोक देगा तथा इसकी जानकारी तत्काल जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी एवं राज्य निर्वाचन आयोग को देगा।

(iv) यदि रिटर्निंग अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि यथास्थिति ऐसी समस्त मतपेटिकाएं या इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन, जिनकी ऐसे स्थानों पर गणना की जानी हो, प्राप्त कर लिये गये हैं और वे उचित क्रम में हैं तो वह यथास्थिति इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों या मतपेटिकाओं में अन्तर्विष्ट मतपत्रों की गणना प्रारम्भ करेगा। मतदान स्थल पर प्रयुक्त समस्त मतपेटिकाओं और इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों को खोला जायगा और उसी समय यथास्थिति उन पेटिकाओं या इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों में पाये गये मतपत्रों की गणना की कार्यवाही राज्य निर्वाचन आयोग के अनुदेशों के अनुसार की जायगी।

(v) मतदान स्थल की मतपेटिकाओं में पाए गए मतपत्रों या उस स्थल के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में अभिलिखित मतों के लेखा को आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में अभिलिखित किया जाएगा।

(vi) रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं और गणन अभिकर्ताओं, जो उपस्थित हों, को समस्त मतपत्रों, जो रिटर्निंग अधिकारी की राय में अस्वीकृत किए जाने योग्य हों, का निरीक्षण करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा किन्तु उन्हें इन पत्रों या किसी अन्य पत्र को छूने नहीं देगा। रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक मतपत्र, जो अस्वीकृत किया गया हो, पर हिन्दी में देवनागरी लिपि में अस्वीकृति के सम्बन्ध में पृष्ठांकन करेगा। यदि कोई अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता किसी मतपत्र की अस्वीकृति की सत्यता के सम्बन्ध में प्रश्न करता है तो रिटर्निंग अधिकारी ऐसे मतपत्र पर संक्षेप में अपनी अस्वीकृति के आधारों को भी अभिलिखित करेगा।

(vii) मतदान स्थल की मतपेटिकाओं में अन्तर्विष्ट समस्त मतपत्रों या उक्त स्थल की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में अभिलिखित मतों की गणना को पूरा कर लिए जाने के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी ऐसे समस्त मतपत्रों को ऐसे पृथक् पृथक् पैकेट में रखवाएगा जिस पर ऐसे विवरण इंगित किए जाएंगे जिससे कि मतदान स्थल, नगर पालिका का नाम और निर्वाचन क्षेत्र, जिनसे मतपत्र या मत सम्बन्धित हो, की पहचान हो सके।

(viii) मतगणना प्रारम्भ किये जाने से पूर्व इस तथ्य की निश्चित जानकारी कर ली जाय कि किसी वार्ड के किसी मतदान केन्द्र/स्थल पर पुनर्मतदान का निर्णय तो नहीं लिया गया है। यदि किसी मतदान केन्द्र/स्थल पर पुनर्मतदान का निर्णय लिया गया है तो उस कक्ष (वार्ड) की मतगणना पुनर्मतदान के लिये निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्रारम्भ की जाएगी।

(ix) मतगणना प्रारम्भ होने से पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को समस्त उपस्थित व्यक्तियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 के उपबन्धों को पढ़कर सुना देना चाहिये।

(2) प्रत्येक मतदान स्थल के सम्बन्ध में मतगणना का कार्य निम्नलिखित प्रकार से किया जाना चाहिएः–

(i) जैसे ही मतपेटिका/ईवीएम खोली जाय, गणन पर्यवेक्षक मतपेटिका/ईवीएम की पहचान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उसकी जांच करेगा। उपर्युक्त रीति से मुहरों की सावधानी पूर्वक जांच कर लिये जाने पर मतदान स्थल की मतपेटिका/ईवीएम या मतपेटिकाओं को खोलकर उनमें से सभी मतपत्र गणन मेज पर निकाले जायेंगे। मतपेटिका प्रयोग किये जाने की स्थिति में गणन अभिकर्ता को यह देख लेने का अवसर दिया जाएगा कि उन मतपेटिकाओं में से सभी मतपत्र बाहर निकाल लिये गये हैं और वह खाली हो गयी है। इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि मतपत्रों को मतपेटिकाओं से बाहर निकालते समय कोई मतपत्र इधर उधर न हो।

(ii) मतगणना मेजों पर मतपेटिकाओं/ईवीएम के वितरण के साथ ही साथ मतगणना प्रारम्भ हो जायगी। यदि एक मतदान स्थल पर एक से अधिक मतपेटिकायें/ईवीएम प्रयुक्त हुई हों तो सभी मतपेटिकाएं/ईवीएम मतगणना की एक ही मेज पर एक साथ रखी जायेंगी। गणना की मेज पर संबंधित मतदान स्थल पर प्रयुक्त समस्त मतपेटिकाओं/ईवीएम के साथ मतपत्रों का लेखा भी दिया जायगा जो मतदान स्थल से प्राप्त हुआ हो।

(iii) प्रत्येक मतपेटी में नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के सदस्य/अध्यक्ष अथवा नगर निगम के पार्षद/महापौर के लिये डाले गये अलग अलग रंगों के मतपत्र होंगे। सर्वप्रथम रंगों के आधार पर मतपत्रों को अलग अलग छांट लिया जायगा और फिर छांटे हुए मतपत्रों को उल्टा रखते हुये 50–50 मतपत्रों की गड्डियॉं बना ली जायेंगी तथा गड्डी बना लेने के पश्चात् यदि 50 मतपत्रों से कम की गड्डी बचती है तो उसे सहायक रिटर्निंग अधिकारी को दे दी जायगी न कि स्टील बाक्स में रखा जायगा। सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 50 मतपत्रों से कम की गड्डियों को मिलाकर 50–50 मतपत्रों की गड्डियॉं बनाकर स्टील बाक्स में रखा जायगा तथा अन्तिम बची 50 से कम की गड्डी को भी स्टील बाक्स में रखा जायगा।

(iv) चेयरपरसन पद के मतों की गणना हेतु मतपत्रों की मिक्सिंग वार्डवार की जायगी। मतों की गणना वार्डवार होने के कारण जिस वार्ड की मतगणना प्रारम्भ की जायगी उस वार्ड के सदस्य/पार्षद एवं अध्यक्ष/महापौर की गणना पूर्ण करने के उपरान्त ही दूसरे वार्ड की गणना की जायगी। किसी भी वार्ड में सर्वप्रथम सदस्य/पार्षद की मतगणना की जायगी, तदुपरान्त अध्यक्ष/महापौर के पदों की गणना की जायगी। अर्थात् एक वार्ड के समस्त मतदान स्थलों के मतपत्रों की गड्डियां बारी–बारी से बना ली जायगी और उन्हें रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी के पास उपलब्ध स्टील के बड़े बक्से में एकत्र कर लिया जायगा। ध्यान रहे कि मतपत्रों को बीच से लम्बवत् मोड़ा जायगा ताकि दिये गये मत की गोपनीयता बनी रहे। रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी के पास दो अलग प्रकार के स्टील के बक्से रखे जायेंगे। एक बक्से में नगर निकाय के चेयर परसन के लिए डाले गये सभी मतपत्रों की गड्डियॉं रखी जायेंगी तथा दूसरे बक्से में नगर निकाय के सदस्य/पार्षद के पक्ष में डाले गये मतपत्रों की गड्डियॉं रखी जायेंगी। मतपत्र लेखा प्ररूप–22 के भाग–2 में गणन पर्यवेक्षक पूरे मतदान स्थल पर डाले गये मतपत्र की संख्या की प्रविष्टि करके मतपत्रों की गड्डियॉं सहायक रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा करेगा परन्तु किसी वार्ड के मतपत्रों की गड्डियॉं एक जगह एकत्र किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि वार्ड के सभी मतदान स्थल के मतपत्रों का लेखा मतपेटी में उपलब्ध मतपत्रों से मिल गया है। यदि कोई अन्तर हो तो मतपत्र लेखा में उसे अंकित कर दिया जाना चाहिए।

(v) इस प्रकार मतगणना प्रारम्भ किये जाने से पूर्व एक वार्ड के सदस्य/पार्षद के लिये बनाये गये 50–50 मतपत्रों की गड्डियों को मिलाकर एक–एक हजार मतपत्रों के बन्डल को गिनने के लिए टेबुलवार गणन पर्यवेक्षकों को दिये जायेंगे और जब एक वार्ड के सभी सदस्यों/पार्षदों की गणना पूरी हो जाए तब उनके निर्वाचन परिणाम अवधारण हेतु सारणीबद्ध (टेबुलेट) किये जायेंगे। जहॉं निकाय में सदस्यों/पार्षदों की संख्या अत्यधिक है वहॉं रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए एक

साथ कई वार्डों की गणना प्रारम्भ करा सकते हैं अर्थात् अलग अलग सहायक रिटर्निंग अधिकारी अपने वार्डों के मतदान स्थलों की गड्डियॉ बनवा कर और उन्हें आपस में मिलवाने (मिक्सिंग) के बाद एक एक हजार के राउन्ड में मतगणना प्रारम्भ करा सकते हैं, परन्तु इस कार्य हेतु अलग अलग वार्डों के लिये अलग से स्टील बाक्सों की आवश्यकता होगी। यहॉ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि यदि कई वार्डों की गणना एक मतगणना पन्डाल में की जा सकती है तो एक वार्ड के लिये आवश्यकता एवं परिस्थिति के अनुसार 3 से 4 मेजें निर्धारित की जा सकती हैं। इन 3 से 4 गणन मेजों पर एक बार में गिने गये मतपत्र एक गणन चक्र में माने जायेंगे।

(vi) चेयर परसन के लिये दिये गये सभी मतपत्रों को रिटर्निंग अधिकारी के पास स्टील बाक्सों में 50–50 की गड्डियों में एकत्र कर लिया जायगा और जब पूरे निकाय के सभी मतदान स्थलों का मतपत्र लेखा मिल जाता है तब एक एक हजार के लाट में मतगणना टेबुलवार एवं उम्मीदवार वार की जायगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस मामले में एक गणना पण्डाल की सभी मेजों पर एक बार में एक एक हजार की संख्या में गिने गये मतपत्र उस पंडाल का एक गणना चक्र माना जायगा और सभी पंडालों की एक बार में एक एक हजार की संख्या में गिने गये मतपत्र इस चेयरपरसन पद के लिए की जा रही गणना का एक चक्र माना जायेगा। इस प्रक्रिया में चक्रवार सारिणीबद्ध (टेबुलेशन) किया जायगा।

(vii) जिन मतदान स्थलों पर अपवाद स्वरूप एक से अधिक वार्ड मतदान हेतु सम्बद्ध किये गये हों उनके सदस्य पद के मतपत्रों को उलट कर उनके पीछे सुभेदक सील से अंकित वार्ड क्रमांक देखकर उनकी वार्डवार छंटनी कर ली जाय और फिर उनकी वार्डवार गड्डियॉ बनाकर उन्हें रबर बैण्ड से बांध दिया जाय। गणना का विवरण प्रत्येक पद के लिये निर्धारित प्ररूपों (प्ररूप–2 से 9 तक) में अंकित किया जाय। प्ररूप 2, 4, 6 व 8 के स्तम्भ–4 में उप–स्तम्भों की कुल संख्या–10 ही रखी जाय अर्थात् प्रत्येक प्रपत्र में चक्रवार मतगणना के परिणाम भी संकलित किये जायेंगे। यदि 10 से अधिक चक्रों में मतगणना की जाय तो प्रत्येक 10 के लिये अलग से प्रपत्र में प्रविष्टियॉ की जाय। इसी प्रकार आठों प्ररूपों के

स्तम्भ–2 में उम्मीदवारों के नाम लिखने हेतु 15 पंक्तियॉ रखी जायें ताकि 15 उम्मीदवारों के नाम एक ही पृष्ठ में आ जाय। यदि उम्मीदवारों की संख्या–15 से अधिक हो तो संबंधित प्रपत्र की अन्य प्रतियों का प्रयोग किया जाय और निर्वाचित उम्मीदवार का नाम प्ररूप–3, 5, 7 व 9 में प्राप्त वैध मतों के आधार पर ही अंकित किया जाय।

11– मतपत्रों को अस्वीकृत किये जाने के आधार

मतगणना करते समय यह ध्यान रखा जाय कि कोई मतपत्र अवैध अथवा रद्द किये जाने योग्य तो नहीं है। निम्नलिखित में से किसी भी एक या एक से अधिक आधार पर मतपत्र को अस्वीकृत किया जा सकता हैः

(1) यदि उस पर कोई ऐसा चिह्न लगा हो जिससे निर्वाचक की पहचान की जा सकती होः या

(2) यदि वह नकली मतपत्र हो, या

(3) यदि वह इस प्रकार क्षतिग्रस्त या विकृत हो गया हो कि वास्तविक मतपत्र के रूप में उसकी पहचान स्थापित न की जा सकती हो, या

(4) यदि इस पर किसी विशिष्ट मतदान स्थल पर उपयोग हेतु प्राधिकृत मतपत्रों की, यथास्थिति, क्रम संख्या और रूपांकन से भिन्न क्रम संख्या या रूपांकन हो, या

(5) यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में भरी जाने वाली अपेक्षित सीटों की संख्या से अधिक अभ्यर्थियों के पक्ष में मतदान किए जाते हैं, या

(6) यदि उस पर कोई मत अभिलिखित न हो, या

(7) यदि उस पर चिह्न लगाने के लिये उपलब्ध कराए गए उपकरण से भिन्न किसी उपकरण से चिह्न लगाया गया हो, या

(8) यदि मत को इंगित करने वाला चिह्न इस तरह से लगाया गया है कि यह स्पष्ट नहीं होता है कि किस उम्मीदवार को मत दिया गया है, या

(9) यदि मतपत्र पर सुभिन्नक सील नहीं लगी है, या

(10) यदि मतपत्र पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं।

रिटर्निंग अधिकारी, उम्मीदवारों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं और गणन अभिकर्ताओं को, जो उपस्थित हों, ऐसे सभी मतपत्रों को, जो रिटर्निंग अधिकारी

के विचार में अस्वीकार किये जाने योग्य हों, निरीक्षण करने का युक्तियुक्त अवसर देगा, किन्तु उन्हें उन मतपत्रों या किसी अन्य मतपत्र को छूने की अनुमति नहीं देगा। रिटर्निंग अधिकारी ऐसे प्रत्येक मतपत्र पर जो अस्वीकृत कर दिया जाय, हिन्दी में देवनागरी लिपि में **"अस्वीकृत"** पृष्ठांकित करेगा और ऐसे प्रत्येक मतपत्र पर अस्वीकृति का कारण संक्षिप्त रूप में अभिलिखित करेगा।

किसी मतपत्र की या ऐसे किसी मतपत्र पर दिए गए मत की विधि मान्यता हेतु रिटर्निंग अधिकारी का विनिश्चय निर्वाचन को प्रश्नगत करने वाली किसी निर्वाचन याचिका के विचारण पर दिए गए किसी प्रतिकूल विनिश्चय के अध्यधीन अन्तिम होगा।

12— किसी भी मतपत्र को निम्नलिखित आधार पर रद्द नहीं किया जायगाः—

(1) किसी मतपत्र को इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जाएगा कि मत को इंगित करने वाला चिह्न अस्पष्ट है या उसे किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के नाम के सम्मुख एक से अधिक बार अंकित किया गया है, यदि इसका यह आशय कि उक्त मत किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए होगा, उस रूप में प्रकट हो जिस रूप में मतपत्र में चिह्नित हो।

(2) एक उम्मीदवार के खाने में स्पष्ट चिह्न के अतिरिक्त, उसके पृष्ठभाग में या गहरे रंग वाले छायाकृत स्थान में भी चिह्न लगा हो।

(3) चिह्न किसी उम्मीदवार के खाने में आंशिक रूप से लगा है तथा शेष भाग खाली स्थान में लगा है।

(4) मूल चिह्न किसी एक उम्मीदवार के खाने में स्पष्ट रूप से बना है किन्तु मतपत्र को गलत ढंग से मोड़ने के कारण उसकी छाप अन्य उम्मीदवार के खाने में बन गयी है।

(5) मतदाता द्वारा मतपत्र को हाथ में लेते समय असावधानी के कारण उस पर उसके अंगूठे के निशान का धब्बा पड़ गया हो।

13— मतपत्रों को उम्मीदवारों को दिये गये मतों के अनुसार अलग—अलग छांट लेना चाहिये। संदिग्ध मतपत्रों को एक अलग बण्डल में रख लेना चाहिए। वैध और अवैध मतों के उदाहरण इस पुस्तिका के अन्त में क्रमशः परिशिष्ट—3 व परिशिष्ट—4 में मार्गदर्शन हेतु दिये गये हैं किन्तु उनके अतिरिक्त भी अनेक उदाहरण हो सकते हैं।

14— प्रत्येक उम्मीदवार के वैध मतपत्रों के बण्डलों को एक साथ बांध लिया जायगा और उस पर एक पर्ची लगा दी जायगी जिसमें उन बण्डलों के मतपत्रों की कुल संख्या

तथा उम्मीदवारों के नाम लिखे जायेंगे। संदिग्ध मतपत्रों का एक अलग बण्डल बनाया जायगा। उस पर पर्ची लगायी जायगी जिस पर शब्द "संदिग्ध मतपत्र" और "संदिग्ध मतपत्रों की कुल संख्या" लिखी जायगी।

15— गणना मेज से गणन पर्ची एवं मतपत्रों के बण्डल प्राप्त होने पर गणन पर्यवेक्षक अस्वीकृत किये जाने वाले तथा संदिग्ध मतपत्रों के बण्डल और गणना पर्ची (प्ररूप–25) के साथ विभिन्न उम्मीदवारों के वैध तथा अवैध मतपत्रों के बण्डलों को रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी को दे देंगे। रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी उसके अवैध और संदिग्ध मतपत्रों की जांच करेगा, उन पर अंतिम आदेश पारित करेगा और जहां कहीं आवश्यक होगा गणन पर्ची में संशोधन करेगा तथा वहीं अपने हस्ताक्षर करेगा।

16— मतपत्रों की वैधता से सम्बन्धित प्रत्येक विवादग्रस्त मामले अथवा जिसके बारे में गणन पर्यवेक्षक को स्वयं सन्देह है, को रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी को उसके आदेश के लिये अभिदिष्ट कर दिया जायगा। मत की वैधता के सम्बन्ध में रिटर्निंग अधिकारी का निर्णय किसी निर्वाचन याचिका के, जिसमें निर्वाचन पर आपत्ति की गई हो, के परीक्षण पर दिये गये किसी प्रतिकूल निर्णय के अधीन रहते हुये अन्तिम होगा।

17— उपर्युक्तानुसार अवैध मतों की जांच हो जाने पर तथा जांच पर्चियों में आवश्यकतानुसार प्रविष्टियों की शुद्धि किये जाने पर रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सहायक लिपिक की सहायता से गणना की शीट लिखी जायगी तथा उसकी सत्य परीक्षा की जायगी।

18— निविदत्त मतपत्रों की गणना नहीं की जायगी।

19— मतपेटिकाओं में पाये गये मतपत्रों के सम्बन्ध में समस्त प्रविष्टियों के पूरी हो जाने के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी उम्मीदवारों के लिये नियत स्तम्भ के अन्त में मतपत्रों की संख्या अंकित करेगा। यह करने के पश्चात् प्रत्येक उम्मीदवार के सम्बन्ध में अवैध और अस्वीकृत मतपत्रों के आंकड़ों का योग किया जायगा।

20— प्रत्येक चक्र की गणना समाप्त होने के तुरन्त बाद सदस्य/पार्षद तथा अध्यक्ष/महापौर की मतगणना प्रगति ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से प्रसारित करायी जाय। इसके अतिरिक्त 2–2 घन्टे के अन्तराल में भी मतगणना प्रगति की घोषणा

प्रगामी योग सहित किसी उत्तरदायी एवं दक्ष वरिष्ठ कर्मी से करायी जाय चाहे प्रगति अथवा परिणाम में कोई प्रगति/परिवर्तन हुआ है अथवा नहीं, मतगणना प्रगति की जानकारी के लिये नियुक्त कर्मी रिटर्निंग अधिकारी के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा उनकी ड्यूटी 8–8 घन्टे की शिफ्ट में लगाई जायगी।

21– **पुनर्गणना**

किसी उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या मतगणना अभिकर्ता के प्रार्थना पत्र पर रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा निर्वाचन परिणाम घोषित किये जाने के पूर्व मतों की फिर से सम्पूर्ण या आंशिक गणना की जा सकेगी, किन्तु रिटर्निंग अधिकारी किसी ऐसे प्रार्थना पत्र को जो उसे गलत तथ्यों पर आधारित या व्यर्थ जान पड़े, अस्वीकृत करने का कारण अभिलिखित करते हुए उसे उसी समय अस्वीकार कर सकता है। किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता के प्रार्थना पत्र के आधार पर एक बार की गई पुनर्गणना के पश्चात् उसके दुबारा पुनर्गणना की मांग करने का उसे कोई अधिकार नहीं होगा।

22– मतगणना के समय मतपत्रों को नष्ट किया जाना और उसकी क्षति आदि

(1) मतगणना के पूर्व किसी भी समय मतदान केन्द्र या मतदान हेतु नियत किसी स्थान पर प्रयुक्त किन्हीं मतपत्रों को रिटर्निंग अधिकारी की अभिरक्षा से छीन लिया जाता है या उन्हें संयोग वश या जानबूझकर नष्ट कर दिया जाता है या खो दिया जाता है या उन्हें इस सीमा तक क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है या उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है कि उस मतदान केन्द्र या स्थल पर मतदान का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है तो रिटर्निंग अधिकारी तत्काल उक्त मामले की सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी और आयोग को देगा।

(2) उस आधार पर, आयोग समस्त सारभूत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए या तो,–

(i) यह निदेश देगा कि मतगणना रोक दी जाए, उस मतदान केन्द्र या स्थान के मतदान को शून्य घोषित कर दिया जाए और उस मतदान केन्द्र या स्थान पर नए सिरे से मतदान कराने के लिए दिनाँक और समयावधि नियत की जाए और इस प्रकार नियत किए गए दिनाँक और समयावधि, जैसा कि वह उचित समझे, को अधिसूचित करेगा, या

(ii) यदि इस बात का समाधान हो जाता है कि उस मतदान केन्द्र या स्थान पर किसी नए सिरे से मतदान के परिणाम से किसी भी रूप में निर्वाचन

का परिणाम प्रभावित नहीं होगा, ऐसे निर्देश रिटर्निंग अधिकारी को जारी करेगा जैसा कि वह मतगणना पुनरारम्भ और उसके समापन के लिए और निर्वाचन के अग्रतर संचालन और उसके समापन के लिए उचित समझे, जिनके संबंध में मतगणना की जा चुकी है।

23— **मतों की समानता**

यदि मतगणना पूरी होने के पश्चात्, किन्हीं अभ्यर्थियों के मध्य मत का समान होना पाया जाता है और एक मत के बढ़ जाने पर उनमें से कोई भी अभ्यर्थी निर्वाचित घोषित होने का हकदार हो जाता है तो रिटर्निंग अधिकारी तत्काल उन अभ्यर्थियों के मध्य विनिश्चय भाग्यपत्रक द्वारा करेगा और उस रूप में कार्यवाही करेगा मानो ऐसे अभ्यर्थी, जिसके पक्ष में भाग्यपत्रक आता है, को एक अतिरिक्त मत प्राप्त हो चुका हो।

24— **निर्वाचन परिणाम की घोषणाः**

अध्यक्ष एवं सदस्य नगर पंचायत, अध्यक्ष एवं सदस्य नगर पालिका परिषद तथा पार्षद एवं महापौर नगर निगम के परिणामों की घोषणा रिटर्निंग अधिकारी आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक की सहमति से मतगणना स्थल पर ही करेंगे। यदि किसी मतगणना केन्द्र पर आयोग द्वारा प्रेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई हो तो वहॉ पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शान्ति व्यवस्था के लिए तैनात किये गये जोनल मजिस्ट्रेट को स्थानीय प्रेक्षक माना जायगा, की सहमति से अपने क्षेत्र के उक्त पदों के निर्वाचन परिणामों की घोषणा मतगणना स्थल पर ही की जायगी। परिणाम की घोषणा के पूर्व निर्धारित पंजिका (प्ररूप–23) पर निर्वाचन परिणाम का विवरण दर्ज कर उस पर निर्वाचित उम्मीदवार या उसकी अनुपस्थिति में उसके निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर कराये जायेंगे तथा रिटर्निंग अधिकारी अथवा सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भी पंजिका में हस्ताक्षर किये जायेंगे। परिणाम की घोषणा के तत्काल बाद विजयी उम्मीदवार को निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र सम्बन्धित प्ररूप (प्ररूप संख्या 10,12,14,16,18,20) में प्रदान किया जायगा और प्ररूप संख्या 11,13,15,17,19 या 21 में उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त करके सम्बन्धित अभिलेख के साथ रखकर सील कर दिया जायगा।

25— **निर्वाचन परिणाम की सूचना**

किसी निर्वाचन का परिणाम घोषित कर दिए जाने के पश्चात यथाशक्य रिटर्निंग अधिकारी परिणाम की सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी और आयोग को देगा।

26— मतपत्रों तथा गणना अभिलेखों को सील करना

(1) मतों की गणना के बाद रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी निम्नलिखित अभिलेखों के अलग अलग पैकेट बनायगा।

(i) मतगणना किये गये वैध मतपत्रों का एक बन्डल।

(ii) निरस्त किये गये मतपत्रों का एक बन्डल।

(iii) प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त किये गये मतों की गणना के प्रपत्र।

(2) मतगणना के बाद सभी अभिलेखों के बन्डल तथा मतपत्रों के बन्डलों को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सील करा दिया जायगा। मतगणना स्थल पर उपलब्ध प्रत्याशी अथवा गणन अभिकर्ता को सील किये गये मतपत्रों पर अपनी अपनी मुहर अथवा मतगणना सील लगाने दिया जायगा, यदि वे ऐसा करना चाहते हैं।

27— मतगणना विवरणी मतपत्रों तथा अन्य पत्रजातों की अभिरक्षा

रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन परिणाम को घोषित करने के पश्चात् विवरणी को जिला निर्वाचन अधिकारी को अग्रसारित कर देगा। रिटर्निंग अधिकारी मतपत्रों के पैकेटों और निर्वाचन से सम्बन्धित अन्य समस्त पत्रजातों को भी जिला निर्वाचन अधिकारी को अभिरक्षार्थ अग्रसारित करेगा। मतपत्रों की गणना से सम्बन्धित सभी अभिलेखों को सील/मुहर बन्द किया जायगा परन्तु प्ररूप–23 निर्वाचन की पंजिका सील नहीं होगी। सम्बन्धित नगर निकायों के रिटर्निंग अधिकारी का यह दायित्व होगा कि मतगणना की समाप्ति के बाद 15 दिन के अन्दर मतगणना सम्बन्धी अभिलेखों को अपने जिले के पंचास्थानि चुनावालय में जमा करके सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी से रसीद प्राप्त कर लें। यह अभिलेख पंचास्थानि चुनावालय में सुरक्षित रखे जायेंगे। निर्वाचन अधिकरण (इलेक्शन ट्रिब्युनल) द्वारा मांग किये जाने पर उन्हें सम्बन्धित न्यायालय में भेजा जायगा। एक नियत अवधि के बाद इन अभिलेखों को सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नष्ट कर दिया जायगा।

28— नगर पालिकाओं के सामान्य निर्वाचनों के परिणामों का प्रकाशन

यथास्थिति किसी नगर पालिका के किसी सदस्य, पार्षद, अध्यक्ष या महापौर के रूप में निर्वाचित प्रत्येक व्यक्ति के नाम को आयोग द्वारा गजट में विहित रीति से प्रकाशित किया जायगा।

नगर निकाय निर्वाचन

प्ररूप–1

गणन अभिकर्ता की नियुक्ति

नगर निकाय का नाम .....जनपद.....के

*महापौर/अध्यक्ष/वार्ड संख्या.....

से *पार्षद/सदस्य के लिये निर्वाचन।

गणन अभिकर्ता की फोटो

सेवा में,

रिटर्निंग अधिकारी,

मैं.....जो ऊपर वर्णित निर्वाचन में उम्मीदवार हूँ/.....का जो ऊपर वर्णित निर्वाचन में उम्मीदवार है, का निर्वाचन अभिकर्ता हूँ।.....मतदान स्थल.....पर मतों की गणना में उपस्थित रहने के लिये निम्नलिखित व्यक्ति जिसका फोटो चिपका है, को एतद्द्वारा अपने अभिकर्ता के रूप में नियुक्ति करता/करती हूँ।

गणन अभिकर्ता का नाम

गणन अभिकर्ता का पता

स्थान.....

दिनांक.....

उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मैं ऐसे गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिये सहमत हूँ।

स्थान.....

दिनांक.....

गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष की जाने वाली गणन अभिकर्ता की घोषणाः–

मैं एतद्द्वारा घोषित *करता/करती हूँ कि मैं ऊपर वर्णित निर्वाचन के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 जो *मैंने पढ़ ली है/जो मुझे पढ़कर सुना दी गयी है, द्वारा निषिद्ध कार्य नहीं करूँगा/करूँगी।

स्थान.....

दिनांक.....

गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मेरे समक्ष हस्ताक्षरित की गयी।

स्थान.....

दिनांक.....

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

(मुहर)

*जो लागू न हो उसे काट दिया जाय।

नगर निकाय निर्वाचन

प्ररूप–2

*नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत.....जनपद.....के वार्ड (नाम).....संख्या.....के सदस्य के निर्वाचन हेतु मतगणना का परिणाम।

क्रम सं0	उम्मीदवार का नाम	उम्मीदवार के पक्ष में चक्रवार विधिमान्य मतों का विवरण	योग
1	2	3	4
प्रतिक्षेपित (रद्द) किये गये मतपत्र			

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या.....

(ख) प्रतिक्षेपित (रद्द) मतों की कुल संख्या.....

(ग) निविदत्त मतपत्रों की कुल संख्या.....

(घ) डाले गये कुल मतों की संख्या.....

मतगणना का स्थान .....

दिनांक.....

(ह0)

पूरा नाम.....

रिटर्निंग अधिकारी,

निर्वाचन क्षेत्र का नाम.....

मुहर

---

*जो लागू न हो उसे काट दें।

नगर निकाय निर्वाचन

प्ररूप–2 क

*नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत.....जनपद.....के वार्ड (नाम).....संख्या.....के सदस्य के निर्वाचन हेतु मतगणना का परिणाम।

क्रम सं0	उम्मीदवार का नाम	उम्मीदवार के पक्ष में गणना मेजवार विधिमान्य मतों का विवरण	चक्र का योग
1	2	3	4
प्रतिक्षेपित (रद्द) किये गये मतपत्र			

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या.....

(ख) प्रतिक्षेपित (रद्द) मतों की कुल संख्या.....

(ग) निविदत्त मतपत्रों की कुल संख्या.....

(घ) डाले गये कुल मतों की संख्या.....

मतगणना का स्थान .....

दिनांक.....

(ह0)

पूरा नाम.....

रिटर्निंग अधिकारी,

निर्वाचन क्षेत्र का नाम.....

मुहर

---

*जो लागू न हो उसे काट दें।

नगर निकाय निर्वाचन

प्ररूप–3

*नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत.....जनपद.....
के वार्ड (नाम).....संख्या.....के सदस्य के निर्वाचन हेतु मतगणना का परिणाम।

क्रम सं0	उम्मीदवार का नाम	उम्मीदवार के पक्ष में दिये गये वैध मतों की संख्या
1	2	3

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या.....

(ख) प्रतिक्षेपित (खारिज/रद्द) मतों की संख्या.....

(ग) डाले गये कुल मतों की संख्या.....

(घ) निविदत्त मतपत्रों की संख्या.....

(ड.) निर्वाचित उम्मीदवार का नाम.....

मतगणना का स्थान .....

दिनांक.....

(ह0)

पूरा नाम.....

* रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी,

निर्वाचन क्षेत्र का नाम.....

मुहर

---

*जो लागू न हो उसे काट दें।

नगर निकाय निर्वाचन

प्ररूप–4

*नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत.....जनपद.....

के अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए मतगणना का परिणाम।

क्रम सं0	उम्मीदवार का नाम	उम्मीदवार के पक्ष में चक्रवार विधिमान्य मतों का विवरण										योग
1	2	3										4
प्रतिक्षेपित (रद्द) किये गये मतपत्र												

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या.....

(ख) प्रतिक्षेपित (रद्द) मतों की कुल संख्या.....

(ग) निविदत्त मतपत्रों की कुल संख्या.....

(घ) डाले गये कुल मतों की संख्या.....

मतगणना का स्थान .....

दिनांक.....

(ह0)

पूरा नाम.....

रिटर्निंग अधिकारी,

निर्वाचन क्षेत्र का नाम.....

मुहर

---

*जो लागू न हो उसे काट दें।

नगर निकाय निर्वाचन

प्ररूप–4 क

*नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत.....जनपद.....

के अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए मतगणना का परिणाम।

क्रम सं0	उम्मीदवार का नाम	उम्मीदवार के पक्ष में चक्रवार विधिमान्य मतों का विवरण										योग
1	2	3										4
प्रतिक्षेपित (रद्द) किये गये मतपत्र												

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या.....

(ख) प्रतिक्षेपित (रद्द) मतों की कुल संख्या.....

(ग) निविदत्त मतपत्रों की कुल संख्या.....

(घ) डाले गये कुल मतों की संख्या.....

मतगणना का स्थान .....

दिनांक.....

(ह0)

पूरा नाम.....

रिटर्निंग अधिकारी,

निर्वाचन क्षेत्र का नाम.....

मुहर

---

*जो लागू न हो उसे काट दें।

नगर निकाय निर्वाचन

प्ररूप–4 ख

*नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत.....जनपद.....

के अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए मतगणना का परिणाम।

क्रम सं0	उम्मीदवार का नाम	उम्मीदवार के पक्ष में वार्डवार विधिमान्य मतों का विवरण										योग
1	2	3										4
प्रतिक्षेपित (रद्द) किये गये मतपत्र												

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या.....

(ख) प्रतिक्षेपित (रद्द) मतों की कुल संख्या.....

(ग) निविदत्त मतपत्रों की कुल संख्या.....

(घ) डाले गये कुल मतों की संख्या.....

मतगणना का स्थान .....

दिनांक.....

(ह0)

पूरा नाम.....

रिटर्निंग अधिकारी,

निर्वाचन क्षेत्र का नाम.....

मुहर

---

*जो लागू न हो उसे काट दें।

नगर निकाय निर्वाचन

प्ररूप–5

*नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत.....जनपद.....
के अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु मतगणना का परिणाम।

क्रम सं0	उम्मीदवार का नाम	उम्मीदवार के पक्ष में दिये गये वैध मतों की संख्या
1	2	3

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या.....

(ख) प्रतिक्षेपित (खारिज/रद्द) मतों की कुल संख्या.....

(ग) डाले गये कुल मतों की संख्या.....

(घ) निविदत्त मतपत्रों की संख्या.....

(ड.) निर्वाचित उम्मीदवार का नाम.....

मतगणना का स्थान .....

दिनांक.....

(ह0) (ह0)

पूरा नाम.....

* रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी,

निर्वाचन क्षेत्र का नाम.....

मुहर

---

*जो लागू न हो उसे काट दें।

नगर निकाय निर्वाचन

प्ररूप–6

*नगर निगम.....जनपद.....

के वार्ड (नाम).....संख्या.....के पार्षद पद के निर्वाचन के लिये मतगणना का परिणाम।

क्रम सं0	उम्मीदवार का नाम	उम्मीदवार के पक्ष में चक्रवार विधिमान्य मतों का विवरण										योग
1	2	3										4
प्रतिक्षेपित (रद्द) किये गये मतपत्र												

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या.....

(ख) प्रतिक्षेपित (रद्द) मतों की कुल संख्या.....

(ग) निविदत्त मतपत्रों की कुल संख्या.....

(घ) डाले गये कुल मतों की संख्या.....

मतगणना का स्थान .....

दिनांक.....

(ह0)

पूरा नाम.....

रिटर्निंग अधिकारी,

निर्वाचन क्षेत्र का नाम.....

मुहर

---

*जो लागू न हो उसे काट दें।

नगर निकाय निर्वाचन

प्ररूप–6 क

*नगर निगम.....जनपद.....

के वार्ड (नाम).....संख्या.....के पार्षद पद के निर्वाचन के लिये मतगणना का परिणाम।

क्रम सं0	उम्मीदवार का नाम	उम्मीदवार के पक्ष में चक्रवार विधिमान्य मतों का विवरण										योग
1	2	3										4
प्रतिक्षेपित (रद्द) किये गये मतपत्र												

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या.....

(ख) प्रतिक्षेपित (रद्द) मतों की कुल संख्या.....

(ग) निविदत्त मतपत्रों की कुल संख्या.....

(घ) डाले गये कुल मतों की संख्या.....

मतगणना का स्थान .....

दिनांक.....

(ह0)

पूरा नाम.....

रिटर्निंग अधिकारी,

निर्वाचन क्षेत्र का नाम.....

मुहर

---

*जो लागू न हो उसे काट दें।

नगर निकाय निर्वाचन

प्ररूप–7

*नगर निगम.....जनपद.....के वार्ड (नाम).....संख्या.....के पार्षद पद के निर्वाचन हेतु मतगणना का परिणाम।

क्रम सं0	उम्मीदवारों का नाम	उम्मीदवारों के पक्ष में दिये गये वैध मतों की संख्या
1	2	3

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या.....

(ख) प्रतिक्षेपित (खारिज/रद्द) मतों की कुल संख्या.....

(ग) डाले गये कुल मतों की संख्या.....

(घ) निविदत्त मतपत्रों की संख्या.....

(ड.) निर्वाचित उम्मीदवार का नाम.....

मतगणना का स्थान .....

दिनांक.....

(ह0) (ह0)

पूरा नाम.....

* रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी,

निर्वाचन क्षेत्र का नाम.....

मुहर

---

*जो लागू न हो उसे काट दें।

नगर निकाय निर्वाचन

प्ररूप–8

*नगर निगम.....जनपद.....

के महापौर पद के निर्वाचन के लिये मतगणना का परिणाम।

क्रम सं0	उम्मीदवार का नाम	उम्मीदवार के पक्ष में चक्रवार विधिमान्य मतों का विवरण										योग
1	2	4										5
प्रतिक्षेपित (रद्द) किये गये मतपत्र												

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या.....

(ख) प्रतिक्षेपित (रद्द) मतों की कुल संख्या.....

(ग) निविदत्त मतपत्रों की कुल संख्या.....

(घ) डाले गये मतों की कुल संख्या.....

मतगणना का स्थान .....

दिनांक.....

(ह0)

पूरा नाम.....

रिटर्निंग अधिकारी,

निर्वाचन क्षेत्र का नाम.....

मुहर

---

*जो लागू न हो उसे काट दें।

नगर निकाय निर्वाचन

प्ररूप–8 क

*नगर निगम.....जनपद.....

के महापौर पद के निर्वाचन के लिये मतगणना का परिणाम।

क्रम सं0	उम्मीदवार का नाम	उम्मीदवार के पक्ष में चक्रवार विधिमान्य मतों का विवरण										योग
1	2	4										5
प्रतिक्षेपित (रद्द) किये गये मतपत्र												

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या.....

(ख) प्रतिक्षेपित (रद्द) मतों की कुल संख्या.....

(ग) निविदत्त मतपत्रों की कुल संख्या.....

(घ) डाले गये मतों की कुल संख्या.....

मतगणना का स्थान .....

दिनांक.....

(ह0)

पूरा नाम.....

रिटर्निंग अधिकारी,

निर्वाचन क्षेत्र का नाम.....

मुहर

---

*जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप–8 ख

*नगर निगम.....जनपद.....

के महापौर पद के निर्वाचन के लिये मतगणना का परिणाम।

क्रम सं0	उम्मीदवार का नाम	उम्मीदवार के पक्ष में वार्डवार विधिमान्य मतों का विवरण										योग
1	2	4										5
प्रतिक्षेपित (रद्द) किये गये मतपत्र												

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या.....

(ख) प्रतिक्षेपित (रद्द) मतों की कुल संख्या.....

(ग) निविदत्त मतपत्रों की कुल संख्या.....

(घ) डाले गये मतों की कुल संख्या.....

मतगणना का स्थान .....

दिनांक.....

(ह0)

पूरा नाम.....

रिटर्निंग अधिकारी,

निर्वाचन क्षेत्र का नाम.....

मुहर

---

*जो लागू न हो उसे काट दें।

नगर निकाय निर्वाचन

प्ररूप–9

*नगर निगम..... .....जनपद.....के

महापौर पद के निर्वाचन हेतु मतगणना का परिणाम।

क्रम सं0	उम्मीदवार का नाम	उम्मीदवार के पक्ष में दिये गये वैध मतों की संख्या
1	2	3

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या.....

(ख) प्रतिक्षेपित (कुल) मतों की कुल संख्या.....

(ग) डाले गये कुल मतों की संख्या.....

(घ) निविदत्त मतपत्रों की संख्या.....

(ड.) निर्वाचित उम्मीदवार का नाम.....

मतगणना का स्थान .....

दिनांक.....

(ह0) (ह0)

पूरा नाम.....

*रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी,

निर्वाचन क्षेत्र का नाम.....

मुहर

*जो लागू न हो उसे काट दें।

नगर निकाय निर्वाचन

प्ररूप–10

निर्वाचन का प्रमाण पत्र

मैं, नगर पंचायत.....जनपद.....
के लिए रिटर्निंग अधिकारी एतद्द्वारा प्रमाणित *करता/करती हूँ कि मैंने वर्ष .....के ....(माह) के दिनांक .....को यह घोषित कर दिया है कि *श्री/श्रीमती/कु0.....*पुत्र/पत्नी/पुत्री.....निवासी..... ..... नगर पंचायत.....के वार्ड (नाम) .....वार्ड संख्या.....से सदस्य पद हेतु सम्यक् रूप से निर्वाचित हो *गये/गयी हैं और इसके साक्ष्य स्वरूप मैंने उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किया है।

(ह0)

स्थान.....

नाम.....

दिनांक.....

रिटर्निंग अधिकारी,

निर्वाचन क्षेत्र का नाम.....

मुहर

---

*यदि आवश्यक न हो तो काट दीजिये।

नगर निकाय निर्वाचन

प्ररूप–11

निर्वाचित सदस्यों को निर्वाचन प्रमाण पत्र देने के पश्चात् प्राप्त की जाने वाली अभिस्वीकृति का प्ररूप

मैं, ...*पुत्र/पत्नी/पुत्री.....

नगर पंचायत..... के वार्ड (नाम).....वार्ड क्रमांक .....से सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन के प्रमाण पत्र की प्राप्ति स्वीकार *करता हूँ/करती हूँ।

स्थान.....

दिनांक.....

निर्वाचित उम्मीदवार के हस्ताक्षर

नाम.....

<u>अभिप्रमाणित</u>

(ह0)

नाम.....

रिटर्निंग अधिकारी,

निर्वाचन क्षेत्र का नाम.....

मुहर

दिनांक.....

---

*यदि आवश्यक न हो तो काट दीजिये।

नगर निकाय निर्वाचन

प्ररूप–12

निर्वाचन का प्रमाण पत्र

मैं, नगर पंचायत.....जनपद.....

के लिए रिटर्निंग अधिकारी एतद्द्वारा प्रमाणित *करता/करती हूँ कि मैंने वर्ष .....के .....(माह) के दिनांक .....को यह घोषित कर दिया है कि *श्री/श्रीमती/कु0.....*पुत्र/पत्नी/पुत्री..... निवासी..... नगर पंचायत.....के अध्यक्ष पद हेतु सम्यक् रूप से निर्वाचित हो *गये/गयी हैं और इसके साक्ष्य स्वरूप मैंने उन्हें यह प्रमाण पत्र प्रदान किया है।

(ह0)

स्थान.....

दिनांक.....

नाम.....

रिटर्निंग अधिकारी,

निर्वाचन क्षेत्र का नाम.....

मुहर

---

*यदि आवश्यक न हो तो काट दीजिये।

नगर निकाय निर्वाचन

प्ररूप–13

निर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्षों को निर्वाचन प्रमाण पत्र देने के पश्चात् प्राप्त की जाने वाली अभिस्वीकृति का प्ररूप

मैं, ...*पुत्र/पत्नी/पुत्री.....
नगर पंचायत..... .....के अध्यक्ष के रूप में अपने निर्वाचन के प्रमाण पत्र की प्राप्ति स्वीकार *करता हूँ/करती हूँ।

निर्वाचित उम्मीदवार के हस्ताक्षर
नाम.....

स्थान.....
दिनांक.....

<u>अभिप्रमाणित</u>

(ह0)
नाम.....
रिटर्निंग अधिकारी,
निर्वाचन क्षेत्र का नाम.....
मुहर
दिनांक.....

---

*यदि आवश्यक न हो तो काट दीजिये।

नगर निकाय निर्वाचन

प्ररूप–14

निर्वाचन का प्रमाण पत्र

मैं, नगर पालिका परिषद्.....जनपद.....
के लिए रिटर्निंग अधिकारी एतद्द्वारा प्रमाणित *करता/करती हूँ कि मैंने वर्ष .....
के .....(माह) के दिनांक .....को यह घोषित कर दिया है कि *श्री/श्रीमती/कु0.....
*पुत्र/पत्नी/पुत्री.....निवासी.....
नगर पालिका परिषद.....के वार्ड (नाम)..... वार्ड संख्या.....
के सदस्य हेतु सम्यक् रूप से निर्वाचित हो *गये/गयी हैं और इसके साक्ष्य स्वरूप मैंने प्रमाण पत्र प्रदान किया है।

(ह0)

स्थान.....
दिनांक.....

नाम.....
रिटर्निंग अधिकारी,
निर्वाचन क्षेत्र का नाम.....
मुहर

---

*यदि आवश्यक न हो तो काट दीजिये।

नगर निकाय निर्वाचन

प्ररूप–15

निर्वाचित सदस्यों को निर्वाचन प्रमाण पत्र देने के पश्चात् प्राप्त की जाने वाली अभिस्वीकृति का प्ररूप

मैं, ...*पुत्र/पत्नी/पुत्री.....
नगर पालिका परिषद.....के वार्ड (नाम) .....
वार्ड संख्या.....से सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन के प्रमाण पत्र की प्राप्ति स्वीकार *करता हूँ/करती हूँ।

निर्वाचित उम्मीदवार के हस्ताक्षर
नाम.....

स्थान.....
दिनांक.....

अभिप्रमाणित

(ह0)
नाम.....
रिटर्निंग अधिकारी,
निर्वाचन क्षेत्र का नाम.....
मुहर
दिनांक.....

---

*यदि आवश्यक न हो तो काट दीजिये।

नगर निकाय निर्वाचन

प्ररूप–16

निर्वाचन का प्रमाण पत्र

मैं, नगर पालिका परिषद.....जनपद.....
के लिए रिटर्निंग अधिकारी एतद्द्वारा प्रमाणित *करता/करती हूँ कि मैंने वर्ष .....
के .....(माह) के दिनांक .....को यह घोषित कर दिया है कि *श्री/श्रीमती/कु0.....
*पुत्र/पत्नी/पुत्री.....निवासी.....
नगर पालिका परिषद.....के अध्यक्ष पद हेतु सम्यक् रूप से निर्वाचित हो *गये/गयी हैं और इसके साक्ष्य स्वरूप मैंने उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किया है।

(ह0)

स्थान.....
दिनांक.....

नाम.....
रिटर्निंग अधिकारी,
निर्वाचन क्षेत्र का नाम.....
मुहर

---

*यदि आवश्यक न हो तो काट दीजिये।

नगर निकाय निर्वाचन

प्ररूप–17

निर्वाचित नगर पालिका परिषद् अध्यक्षों को निर्वाचन प्रमाण पत्र देने के पश्चात् प्राप्त की जाने वाली अभिस्वीकृति का प्ररूप

मैं, ...*पुत्र/पत्नी/पुत्री.....
नगर पालिका परिषद..... .....के अध्यक्ष के रूप में अपने निर्वाचन के प्रमाण पत्र की प्राप्ति स्वीकार *करता हूँ/करती हूँ।

निर्वाचित उम्मीदवार के हस्ताक्षर
नाम.....

स्थान.....
दिनांक.....

अभिप्रमाणित

(ह0)
नाम.....
रिटर्निंग अधिकारी,
निर्वाचन क्षेत्र का नाम.....
मुहर
दिनांक.....

---

*यदि आवश्यक न हो तो काट दीजिये।

नगर निकाय निर्वाचन

प्ररूप–18

निर्वाचन का प्रमाण पत्र

मैं, नगर निगम.....जनपद.....

के लिए रिटर्निंग अधिकारी एतद्द्वारा प्रमाणित *करता/करती हूँ कि मैंने वर्ष .....

के .....(माह) के दिनांक .....को यह घोषित कर दिया है कि *श्री/श्रीमती/कु0.....

*पुत्र/पत्नी/पुत्री.....निवासी.....

नगर निगम.....के वार्ड (नाम) .....

वार्ड सख्या.....से पार्षद हेतु सम्यक् रूप से निर्वाचित हो *गये/गयी हैं और इसके साक्ष्य स्वरूप मैंने उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किया है।

(ह0)

स्थान.....

दिनांक.....

नाम.....

रिटर्निंग अधिकारी,

निर्वाचन क्षेत्र का नाम.....

मुहर

---

*यदि आवश्यक न हो तो काट दीजिये।

प्ररूप–19

निर्वाचित पार्षद को निर्वाचन प्रमाण पत्र देने के पश्चात् प्राप्त की जाने वाली अभिस्वीकृति का प्ररूप

मैं, ...*पुत्र/पत्नी/पुत्री.....
नगर निगम..... .....के वार्ड (नाम).....
वार्ड संख्या.....से पार्षद के रूप में अपने निर्वाचन के प्रमाण पत्र की प्राप्ति स्वीकार *करता हूँ/करती हूँ।

निर्वाचित उम्मीदवार के हस्ताक्षर
नाम.....

स्थान.....
दिनांक.....

<u>अभिप्रमाणित</u>

(ह0)
नाम.....
रिटर्निंग अधिकारी,
निर्वाचन क्षेत्र का नाम.....
मुहर
दिनांक.....

---

*यदि आवश्यक न हो तो काट दीजिये।

नगर निकाय निर्वाचन

प्ररूप–20

निर्वाचन का प्रमाण पत्र

मैं, नगर निगम.....जनपद.....
के लिए रिटर्निंग अधिकारी एतद्द्वारा प्रमाणित *करता/करती हूँ कि मैंने वर्ष .....
के .....(माह) के दिनांक .....को यह घोषित कर दिया है कि *श्री/श्रीमती/कु0.....
*पुत्र/पत्नी/पुत्री.....निवासी.....
नगर निगम.....के महापौर पद हेतु सम्यक् रूप से निर्वाचित हो *गये/गयी हैं और इसके साक्ष्य स्वरूप मैंने उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किया है।

(ह0)

स्थान.....
दिनांक.....

नाम.....
रिटर्निंग अधिकारी,
निर्वाचन क्षेत्र का नाम.....
मुहर

---

*यदि आवश्यक न हो तो काट दीजिये।

नगर निकाय निर्वाचन

प्ररूप–21

निर्वाचित महापौर को निर्वाचन प्रमाण पत्र देने के पश्चात् प्राप्त की जाने वाली अभिस्वीकृति का प्ररूप

मैं, ...*पुत्र/पत्नी/पुत्री.....
नगर निगम..... .....के महापौर के रूप में अपने निर्वाचन के प्रमाण पत्र की प्राप्ति स्वीकार *करता हूँ/करती हूँ।

निर्वाचित उम्मीदवार के हस्ताक्षर
नाम.....

स्थान.....
दिनांक.....

अभिप्रमाणित

(ह0)
नाम.....
रिटर्निंग अधिकारी,
निर्वाचन क्षेत्र का नाम.....
मुहर
दिनांक.....

---

*यदि आवश्यक न हो तो काट दीजिये।

नगर निकाय निर्वाचन

प्ररूप–22

भाग––1

मतपत्र लेखा

*नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत.....के वार्ड संख्या.....भाग संख्या.....से *महापौर/अध्यक्ष/पार्षद/सदस्य का निर्वाचन।

मतदान केन्द्र/स्थल की संख्या व नाम.....

क्रम संख्या/संख्या.....से .....तक, कुल संख्या.....

1 प्राप्त मतपत्र.....

2 उपयोग में नहीं लाये गये मतपत्र.....से.....तक कुल संख्या.....

(अर्थात् जो मतदाताओं को नहीं दिये गये हैं।)

(क) जिनपर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर है।

कुल संख्या.....

(ख) जिन पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।

कुल संख्या.....

जोड़ (क+ख).....

.....

.....

3 मतदान स्थल पर उपयोग में लाये गये मतपत्र.....

(1-2=3)

4 **मतदान स्थल में उपयोग में लाये गये किन्तु मतपेटी में नहीं डाले गये मतपत्र

(क) मतदान प्रक्रिया के अतिक्रमण के कारण रद्द किये गये मतपत्र.....

(ख) अन्य कारणों से रद्द किये गये मतपत्र.....

(ग) निविदत्त मतपत्रों के रूप में प्रयोग में लाये गये मतपत्र.....

जोड़ (क+ख+ग).....

4. मतपेटी में पाये जाने वाले मतपत्र (3–4=5).....

दिनांक.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

**क्रम संख्या देने की आवश्यकता नहीं है।

*जो लागू न हो उसे काट दें।

नगर निकाय निर्वाचन

मतपत्र लेखा

भाग–2

1–मतपेटिकाओं में पाये गये कुल मतपत्रों की संख्या.....

2–यदि कोई अन्तर हो तो उल्लेख करें:–

स्थान..... गणन पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

दिनांक.....

स्थान..... रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक.....

नोट–यह मतपत्र लेखा नगर निकाय के अध्यक्ष/महापौर तथा पार्षद/सदस्य के लिये अलग–अलग बनाया जायगा।

---

*जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप–23

निर्वाचन परिणाम पंजिका

जनपदः–

क्रम संख्या	नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत का नाम	पद/वार्ड का विवरण	निर्वाचन परिणाम घोषणा का दिनांक व समय	निर्वाचित उम्मीदवार का नाम एवं निर्वाचन प्रतीक	निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों की संख्या	निर्वाचित उम्मीदवार के हस्ताक्षर	रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी के हस्ता0
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**

नगर निकाय निर्वाचन

प्ररूप–24

पत्र मुद्रा लेखा

जिला.....की *नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/

नगर पंचायत.....के वार्ड संख्या.....से *महापौर/

पार्षद/अध्यक्ष/सदस्य का निर्वाचन मतदान केन्द्र/स्थल की संख्या व नाम.....

1. उपलब्ध करायी गयी पत्र मुद्रा क्रमांक .....से.....तक.....
2. कुल प्राप्त करायी गयी पत्र मुद्राओं की संख्या.....
3. प्रयुक्त पत्र मुद्राओं की संख्या.....
4. वापस की गयी (अप्रयुक्त) पत्र मुद्राओं की संख्या (क्रमांक 2 –क्रमांक 3).....
   .....
5. खराब हुयी पत्र मुद्राओं का क्रमांक, यदि कोई हो.....

पीठासीन अधिकारी

के हस्ताक्षर

मतदान केन्द्र/स्थल की संख्या

स्थान.....

दिनांक.....

प्ररूप–25

गणन पर्ची

जनपद का नाम.....निकाय का नाम.....*वार्ड संख्या.....
पद का नामः– *अध्यक्ष/*सदस्य–नगर पालिका परिषद्/*नगर पंचायत.....
*महापौर/*पार्षद–नगर निगम.....
गणना के लिए प्राप्त मतपत्रों की संख्या.....
बंडलों की संख्या.....

क्रमांक	उम्मीदवार का नाम	वैध मतपत्रों के बंडलों की संख्या	वैध मतों की संख्या
1			
2			
3			
संदिग्ध मतपत्रों की संख्या			
अस्वीकृत मतपत्रों की संख्या			
योग			

हस्ताक्षर–
गणन पर्यवेक्षक
टेबिल संख्या.....

हस्ताक्षर–
रिटर्निंग अधिकारी/
सहायक रिटर्निंग अधिकारी

* जो लागू न हो उसके काट दें।

परिशिष्ट–1

रिटर्निंग अधिकारी किसी मतपत्र को अस्वीकार कर देगाः–

(1) यदि उस पर कोई पर ऐसा चिह्न लगा हो, जिससे निर्वाचक की पहचान की जा सकती होः या

(2) यदि वह नकली मतपत्र होः या

(3) यदि वह इस प्रकार क्षतिग्रस्त या विकृत हो गया हो कि वास्तविक मतपत्र के रूप में उसकी पहचान स्थापित न की जा सकती होः या

(4) यदि इस पर किसी विशिष्ट मतदान स्थल पर उपयोग हेतु प्राधिकृत मतपत्रों की, यथास्थिति, क्रम संख्या और रूपांकन से भिन्न क्रम संख्या या रूपांकन हो, या

(5) यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में भरी जाने वाली अपेक्षित सीटों की संख्या से अधिक अभ्यर्थियों के पक्ष में मतदान किया गया हैः या

(6) यदि उस पर कोई मत अभिलिखित न होः या

(7) यदि उस पर चिह्नलगाने के लिये उपलब्ध कराए गए उपकरण से भिन्न किसी उपकरण से चिह्न लगाया गया होः या

(8) यदि मत को इंगित करने वाला चिह्न इस तरह से लगाया गया है कि यह स्पष्ट नहीं होता है कि किस उम्मीदवार को मत दिया गया हैः या

(9) यदि मतपत्र पर सुभिन्नक सील नहीं लगी हैः या

(10) यदि मतपत्र पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।